मावठ से गेहूं, सरसों, चना सहित रबी की फसलों को फायदा, किसानों में खुशी

- सीजन की पहली मावठ फसलों के लिए अमृत के समान इससे रबी की फसलों की बढ़वार में फायदा मिलेगा
- इन दिनों फसलों को सिंचाई की जरूरत होती है, जो मावठ से पूरी हो गई है

बीकानेर, (कासं)। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हुई मावठ से रबी की फसलों में रौनक आ गई है।

किसानों के लिए आसमान से राहत की मावठ बरसी, जिससे किसानों के चेहरे खिले। खेतों में हुई बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। दिसम्बर में अधिक ठंड नहीं होने से क्षेत्र के किसानों को मावठ का बेसब्री से इंतजार था। किसानों ने सीजन की पहली मावठ को फसलों के लिए अमृत समान बताते हुए कहा कि इससे रबी की फसलों की बढ़वार में फायदा मिलेगा। मावठ से फसलों में अच्छी बढ़वार शुरू हो जायेगी और सिंचाई की भी कम जरूरत पड़ेगी। अब सर्दी में इजाफा होने के आसार है।

संयुक्त निदेशक (कृषि) मदनलाल ने बताया कि जिला बीकानेर में रबी-25 में 5 लाख 60 हजार हेक्टर क्षेत्रफल में किसानों द्वारा रबी फसलों की बुवाई की गई है। रबी में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किसानों द्वारा सरसों की फसल 2 लाख 45 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई। चना व गेहूं 1 लाख 07 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में, 41 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ईसबगोल, 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेथी, 21 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जीरा की बुवाई हुई है। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि जिले में लगभग 1500 हेक्टर क्षेत्रफल में फल वृक्ष बगीचा किसानों ने लगा रखे हैं। 750 हेक्टेयर क्षेत्र में अनार व 300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खजूर फल वृक्ष बगीचा हेतु भी यह मावठ उचित बढ़वार व उत्पादन के लिए जीवन दायिनी साबित होगी। बुधवार शाम को हुई अच्छी मावठ से एक ओर जहां किसानों के चेहरे खिले।

वहीं दूसरी ओर फसलों में रौनक लौट आई है। मावठ से खेतों को संजीवनी मिली है। जिले में उत्पादित हो रही रबी सब्जियों में मुख्यत: गोभी वर्गीय व हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए इस मावठ से सब्जी उत्पादक किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। राजेडू, श्रीडूंगरगढ़ के किसान नानूराम गरूवा ने बताया कि समय रहते हुई मावठ ने फिर से उम्मीदों को जीवित कर दिया है।

अनार, जोजोबा व रबी फसल के लिए यह मावठ लाभदायक सिद्ध होगी। बेलासर, बीकानेर के किसान वीरेंद्र लुणू ने बताया कि इस समय रबी फसलों में बढ़वार हो रही है और सिंचाई की ज्यादा जरूरत रहती है।

इस मावठ से फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। कपूरीसर लूणकरनसर के जैविक किसान हनुमान दास स्वामी ने बताया कि मावठ जैविक खेती फसलों के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। इससे निश्चित रूप से जैविक उत्पादन अधिक प्राप्त होगा।

अनूपगढ़ क्षेत्र में 31 दिसम्बर को हुई मावठ की पहली बारिश से किसानों को राहत मिली है। इस बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। गुरूवार को भी आसमान में बादल और धुंध छाई रही, जिससे फसलों पर ओस की बूंदें जमी हुई दिखी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है। मावठ की इस बारिश से गेहूं, सरसों और चने जैसी रबी की फसलों को काफी फायदा पहुंचा है।

गांव 6 एमएसआर के किसान राजू खंड ने बताया कि इस समय फसलों को पानी की आवश्यकता थी। यह बारिश फसलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक किसान मावठ की बारिश का इंतजार करते हैं और इस वर्ष यह सही समय पर हुई है।

राजू खंड के अनुसार इस बारिश से गेहूं, सरसों और चने सहित अन्य रबी की फसलों को पर्याप्त नमी मिली है, जिससे उनकी बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन भी ज्यादा होने की संभावना है। खेतों में बढ़ी हरियाली और नमी के कारण किसानों में उत्साह देखा जा रहा है।

गांव 25 ए के किसान बेअंत सिंह बराड़ और पायलट सिंह ने बताया कि इन दिनों फसलों को सिंचाई की जरूरत होती है, जो मावठ से पूरी हो गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मावठ की बारिश से फसलों को पर्याप्त नमी मिलेगी, जिससे उनकी बढ़वार तेजी से होगी। गेहूं, जौ, चना और सरसों जैसी फसलों को विशेष लाभ होने की उम्मीद है।

श्रीगंगानगर में सुबह से बूंदाबांदी : श्रीगंगानगर में नए साल की शुरूआत ठंड और मावठ के साथ हो रही है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होते ही जिले में हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। बुधवार को मौसम ने करवट बदली और शीतलहर के साथ जिलेभर में बूंदाबांदी हुई। इससे अधिकतम तापमान में 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई।

बारिश के बाद कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। गुरूवार सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं।

घने बादल और कोहरे के कारण सूरज के दर्शन मुश्किल हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक जिले में हल्की बारिश की संभावना जताई है।

इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से उत्तरी राजस्थान समेत श्रीगंगानगर में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। मौसम राडार स्टेशन, श्रीगंगानगर पर गुरूवार सुबह न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री रिकार्ड किया गया। बुधवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री रिकार्ड किया गया। वहीं मंगलवार को न्यूनतम 9.2 डिग्री और अधिकतम 24.5 डिग्री दर्ज किया गया।

नए साल पर करणी माता मंदिर में उमड़ी भीड़

देशनोक, (कासं)। नए साल के मौके पर विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नए साल की शुरूआत मां करणी के दर्शन के साथ करने के लिए देश-विदेश से हजारों भक्त सुबह से ही मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। मंदिर में जयकारों और भक्तिमय वातावरण के बीच श्रद्धालुओं ने मां करणी से सुख-समृद्धि की कामना की। लम्बी कतारों के बावजूद भक्तों का उत्साह बना रहा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी। नए साल पर देशनोक का माहौल पूरी तरह धार्मिक और आध्यात्मिक रहा। मां करणी के दरबार में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था देखने को मिली।

ढाणी में लगी आग से 10 लाख का नुकसान

नोखा, (कासं)। उदासर-रामनगर क्षेत्र में स्थित कुदसू गांव की मालाणी ढाणी में मंगलवार देर रात एक ढाणी में अचानक आग लगने से करीब 10 लाख रूपये का नुकसान हो गया। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है।

रात को मुन्नीराम बिश्नोई की ढाणी में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें उठती देख मुन्नीराम ने तत्परता दिखाते हुए घर में सो रहे सभी परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अग्निशमन विभाग नोखा को सूचना दी। अग्निशमन विभाग के फायरमैन बजरंग चिताणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत के बाद आग बुझाई। उन्होंने बताया कि आग इतनी भयावह और विकराल थी कि दमकल के पहुंचने से पहले ही ढाणी में बने तीन झोंपड़े पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे।

आग में करीब सात तोला सोने के जेवरात, 30 तोला चांदी के जेवरात, 85 हजार रूपए नकद, अनाज, चारा, चारपाई, बर्तन, बिस्तर, कपड़े और अन्य घरेलू सामान जल गया। केवल एक झोंपड़ा ही आग की चपेट में आने से बच सका। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। सूचना मिलने पर हलका पटवारी मौके पर पहुंचा।

हाईवे पर खड़ी कार में लाश मिली

श्रीगंगानगर, (कासं)। सेक्टर-17 के पास हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर स्टेट हाईवे पर लावारिस खड़ी स्वीफ्ट डिजायर कार में युवक का शव मिला। आस-पास के लोगों ने गाड़ी में शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने गाड़ी की खिड़की खोलकर शव को नीचे उतारा। मृतक की पहचान पालाराम (22) निवासी हनुमानगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमॉर्टम के लिए रखवाया है।

मौके पर उच्च पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। थानाधिकारी सुभाषचंद्र ने बताया कि मृतक के परिजनों से संपर्क कर युवक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का लग रहा है।

पांच तक दे सकेंगे आपत्तियां

अनूपगढ, (कासं)। पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उपखंड मजिस्ट्रेट सुरेश राव ने अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन का प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। यह कवायद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियमों के तहत की गई है।अनूपगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के वार्डों की कुल संख्या पहले 308 थी, जिसे अब बढ़ाकर 341 कर दिया गया है। हालांकि, क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,44,332 के आसपास स्थिर है। वार्डों की संख्या बढ़ने से अब एक वार्ड पंच कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।

देशनोक में बेकाबू कार पलटी, चालक की मौत

- तीन अन्य युवक घायल, मोड़ पर बिगड़ा संतुलन, स्पीड ब्रेकर और चेतावनी साइन बोर्ड नहीं था

देशनोक, (कासं)। गीगासर रोड पर स्वीफ्ट कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में कार चालक भैंरू ओझा की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य युवक घायल हो गए। घटना देशनोक स्थित धर्मकांटा की गोलाई पर हुई।

बता दें कि गीगासर की ओर से देशनोक आ रही कार गोलाई पर अचानक बेकाबू हो गई और करीब चार पलटे खा गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोलाई पर अचानक मोड़ होने और चेतावनी संकेतों का अभाव होने के कारण वाहन चालक संतुलन खो बैठा। हादसे में बिग्गा निवासी चालक भैंरू ओझा, बेटा राकेश ओझा को गंभीर चोटें आई। कार में सवार अन्य तीन युवकों को मामूली चोटें लगी। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय नागरिक छैलूदान बेटा कैलाश दान और भागीरथ सांदू मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी घायलों को वाहन से बाहर निकालकर देशनोक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल भैंरू ओझा को बीकानेर रेफर किया गया। बीकानेर में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

आश्रम में कैंसर पीड़ितों को भोजन प्रसादी

बीकानेर,(कासं)। पीबीएम स्थित कैंसर पीड़ितों के आश्रम में साल 2025 के आखरी दिन 31 दिसम्बर एवं मलमास के चलते सेवा कार्य किए गए।

श्यामसुंदर सोनी ने बताया कि डॉ. स्वाति फलौदिया एवं डॉ. सुशील फलौदिया द्वारा आश्रम में कैंसर पीड़ितों के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व गंगाशहर सीओ शालिनी बजाज, ट्रेजरी बीकानेर संभाग के मुख्य अधिकारी धीरज जोशी, ट्रोमा सेंटर के सीएमओ डॉ. एल.के. कपिल एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी का आतिथ्य रहा। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डॉ. स्वाति फलौदिया ने कहा कि कैंसर पीड़ितों के इस आश्रम में पीड़ितों को भी त्योहार एवं विशेष दिन पर खुशियां मनाने का अवसर मिलता है। पूर्व गंगाशहर सीओ रही शालिनी बजाज ने कहा कि जरूरतमंद की सहायता ही मानव धर्म है। व्यापार मंडल अध्यक्ष जुगल राठी ने कहा कि कड़कड़ाती सर्दी में पीड़ितों के लिए यह आश्रम वरदान साबित हो रहा है। सीएमओ डॉ. एल. के. कपिल ने कहा कि कैंसर मरीजों के आश्रम में नववर्ष के सेलिब्रेशन ने पीड़ितों को उत्साहित कर दिया। संजय लावट ने बताया कि आश्रम में विशेष सजावट की गई तथा अतिथियों ने आरती व संकीर्तन कर मरीजों के स्वस्थ जीवन की कामना की। बाबूलाल मांडण ने बताया कि जानकीरमण मिश्रा, गिरिराज मांडण, ओमप्रकाश बूटण आदि सेवा कार्यों में जुड़े रहे।

नोखा में घना कोहरा से यातायात प्रभावित

- वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी, कई वाहन हैडलाइट जलाकर धीमी गति से चलते देखे गए

नोखा, (कासं)। नोखा क्षेत्र में गुरूवार सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़क यातायात बाधित रहा और वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी। कई वाहन हैडलाइट जलाकर धीमी गति से चलते देखे गए।

घने कोहरे और बढ़ती ठंड के कारण लोगों की सुबह की दिनचर्या प्रभावित हुई। स्थानीय लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ा। रोजमर्रा के कामकाजी लोग और सुबह की सैर पर निकले नागरिक भी इस मौसम से प्रभावित हुए। ये इस सीजन का दूसरा मौका है जब नोखा उपखण्ड में घना कोहरा छाया है। सुबह 11 बजे तक कोहरे का असर बना रहा, जिससे दिन चढ़ने के बाद भी ठंडक महसूस की गई।

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में हल्की बारिश और सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। विभाग ने वाहन चालकों को कोहरे के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। स्थानीय किसान मुनीराम ने बताया कि ये कोहरा फसलों के लिए लाभदायक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस सीजन में पहले भी एक बार कोहरा पड़ा था, जिससे खेतों में नमी बनी रही और फसलों को मदद मिली थी। प्रशासन ने भी वाहन चालकों और आम नागरिकों से आग्रह किया है कि कोहरे के समय धीमी गति से वाहन चलाएं और सुरक्षित मार्ग का चयन करें। सुबह और शाम के समय सड़कों पर पैदल चलने वालों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

आध्यात्मिक चेतना के साथ नव वर्ष का आगाज़

बीकानेर, (कासं)। श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा गंगाशहर की ओर से नव वर्ष के अवसर पर 'नव वर्ष मंगलमय हो' शुभकामना कार्यक्रम का भव्य आयोजन तेरापंथ भवन में किया गया। इस आध्यात्मिक समारोह में उग्र विहारी तपोमूर्ति मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी ने अपनी ओजस्वी वाणी से श्रद्धालुओं को जीवन दर्शन और संस्कारों का मार्ग दिखाया। मुनिश्री ने नव वर्ष की मंगलकामना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में भगवान महावीर की आगम वाणी को केवल सुनने तक सीमित न रखकर, उसे जीवन और व्यवहार में उतारने की महती आवश्यकता है। उन्होंने अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या करते हुए कहा कि ताकत के बल पर किसी का पोषण करना भी हिंसा की श्रेणी में आता है, जबकि शुद्ध अहिंसा वही है जो किसी को पाप कार्यों से बचने का प्रतिबोध दे। मुनिश्री ने आव्हान किया।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक:- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 24/12/2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में सिहायशी भूखण्ड वाके चक 4 ई छोटी मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 20 में भूखण्ड संख्या ए-74 का माप 25-0'' गुणा 57-0'' फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री बृजलाल एवं श्री विक्रम चुघ पुत्र श्री गुरदयाल चुघ निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन/पट्टा सं. 14376 दिनांक 04.04.2022 के द्वारा जारी किया गया था। आवेदक/पट्टाधारक द्वारा उक्त जारी पट्टे को निर्धारित समयावधि में उपपंजीयन कार्यालय से पंजीकृत नहीं करवाया गया। आवेदक द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र उक्त भूखण्ड के जारी पट्टे को नवीनीकरण हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय आदेशानुसार 3 वर्ष अवधि के पश्चात् पट्टा नवीनीकरण नहीं किया जाकर पुनः नया पट्टा जारी किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/पट्टे के आधार पर नया पट्टा जारी करने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त नियमानुसार आवेदक श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री बृजलाल एवं श्री विक्रम चुघ पुत्र श्री गुरदयाल चुघ निवासी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/जारी पट्टे के आधार पर चक 4 ई छोटी मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 20 में भूखण्ड संख्या ए-74 का माप 25-0'' गुणा 57-0'' फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नही होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2025 Rajkaj Ref. No. दिनांक :
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 1-2 में भूखण्ड संख्या का माप 25'-0" गुणा 55'-0" फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री साहब सिंह पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह निवासी 101 गुरू नगर पुरानी आबादी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री साहब सिंह पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह निवासी 101 गुरू नगर पुरानी आबादी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 1-2 में भूखण्ड संख्या का माप 25'-0" गुणा 55'-0" फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।- सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2026/5083 दिनांक : 01.01.2026
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 6/7 के किला नं. 11 में भूखण्ड संख्या का माप 17'-0" गुणा 37'-6" फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्रीमती प्रवीन रानी पत्नी श्री प्रवीण कुमार निवासी हाउस नं. 19-20 अशोक नगर बी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती प्रवीन रानी पत्नी श्री प्रवीण कुमार निवासी हाउस नं. 19-20 अशोक नगर बी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 6/7 के किला नं. 11 में भूखण्ड संख्या का माप 17'-0" गुणा 37'-6" फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन /पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2025/5075 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 31-12-2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 08 के किला नं. 13 में भूखण्ड संख्या का माप 17'-6'' गुणा 37'-6''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री जीत पाल सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह निवासी 24 सेक्टर 1-बी गुरूनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री जीत पाल सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह निवासी 24 सेक्टर 1-बी गुरूनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 08 के किला नं. 13 में भूखण्ड संख्या का माप 17'-6''गुणा 37'-6''फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियमन/2025/5079 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 1-1-2026
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 4 जैड ए मुरब्बा नं. 69 के किला नं. 2, 3 में भूखण्ड संख्या का माप 40'-0'' गुणा 80'-0''फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री नवदीप सिंह सिंधु पुत्र श्री नक्षत्र सिंह सिंधु निवासी 73 वार्ड नं. 01, पी.ओ. गदरखेड़ा गांव पतली 25 केएसडी 25 कसड बी पतली श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री नवदीप सिंह सिंधु पुत्र श्री नक्षत्र सिंह सिंधु निवासी 73 वार्ड नं. 01, पी.ओ. गदरखेड़ा गांव पतली 25 केएसडी 25 कसड बी पतली श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 4 जैड ए मुरब्बा नं. 69 के किला नं. 2, 3 में भूखण्ड संख्या का माप 40'-0'' गुणा 80'-0''फीट के नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियोजन / 2025/ **विज्ञप्ति** दिनांक : 29-12-2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 50 किला नं. 4 में भूखण्ड संख्या -02 क्षेत्रफल माप 30 गुणा 65 फीट का आवासीय फ्री होल्ड पट्टा संख्या 27546 दिनांक 20.01.2025 द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार के नाम से जारी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 अनुसार एवं जोनल प्लान अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय हेतु आरक्षित है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि) / 2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां की तालिका सं. 10 के अनुसार मास्टर प्लान / जोनल प्लान में 18 मीटर व उससे अधिक चौड़ाई की सड़कों के दोनो ओर सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा तक मिश्रित भू उपयोग सीधे ही अनुमत है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधिया (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार एड्ढ /लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (परमिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड संख्या A-02 क्षेत्रफल माप 30 गुणा 65 फीट का आवासीय रूपान्तरित से मिश्रित (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। RajKaj Ref No.: 19616915 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियोजन / 2025/ **विज्ञप्ति** दिनांक : 29-12-2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 50 किला नं. 5 में भूखण्ड संख्या ई-02 क्षेत्रफल माप 30 गुणा 65 फीट का आवासीय फ्री होल्ड पट्टा संख्या 27773 दिनांक 27.02.2025 द्वारा श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मोहन लाल के नाम से जारी है। उक्त आवासीय भूखण्ड का नियमानुसार नामान्तरण आदेश SGNR/FY25-26/MUT /120 दिनांक 17.06.2025 द्वारा DDB INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED AUTHORIZED DEVENDRA KUMAR S/o Mr. SURESH KUMAR के नाम से नामान्तरण आदेश जारी है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया है। श्रीगंगानगर मास्टर प्लान वर्ष 2017 - 2035 अनुसार एवं जोनल प्लान अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय हेतु आरक्षित है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि) / 2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां की तालिका सं. 10 के अनुसार मास्टर प्लान / जोनल प्लान में 18 मीटर व उससे अधिक चौड़ाई की सड़कों के दोनो ओर सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा तक मिश्रित भू उपयोग सीधे ही अनुमत है। राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, अधिसूचना दिनांक 28.10.2010, दिनांक 24.02.2021, दिनांक 06.11.2024 एवं अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधिया (Development Promotion & Control Regulations) के अनुसार एड्ढ / लीजडीड में उल्लेखित उपयोग से चाहा गया परिवर्तित उपयोग दोनों ही मास्टर प्लान / जोनल डवलपमेंट प्लान के भू-उपयोग में (DPCR) के अनुसार अनुज्ञेय (परमिटेड) उपयोग में आने एवं तकनीकी मापदण्ड पूर्ण होने के कारण विभागीय अधिसूचनाओं के तहत भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही न्यास कार्यालय में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित भूखण्ड D-02 क्षेत्रफल माप 30 गुणा 65 फीट का आवासीय रूपान्तरित से मिश्रित (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत किसी को कोई आपत्ति हो तो वह समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेज सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है। 15 दिवस के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। RajKaj Ref No.: 19617014 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियोजन / 2025/ **विज्ञप्ति** दिनांक : 29-12-2025
सर्व साधारण को स